>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे – आइटम 2 से 6,

श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री सर्वानन्द सोनोवाल जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4408/17/21]

(3) भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 की धारा 47 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. आईएमयू/एचक्यू/एडीएम/अधिसूचना/2021/01 जो दिनांक 21 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय के प्रशासनिक और अकादमिक मामलों संबंधी आठ अध्यादेशों के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4409/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4410/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी.के. सिंह जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1250(अ) जो 18 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-75 (नया एनएच-44) के 0.000 किमी से 103.000 किमी तक ग्वालियर से झांसी खण्ड (संशोधित खण्ड 16.000 किमी से 98.455 किमी) की चार लेन परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(दो) का.आ. 1251(अ) जो 18 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य के

लुधियाना में एनएच-95 को एनएच-1 से वाया लाडोवाल बीज फार्म जोड़ने वाली एनएच-95 के 0.000 किमी से 17.041 किमी तक लाडोवाल बायपास खण्ड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(तीन) का.आ. 1252(अ) जो 18 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य एनएचडीपी फेज-दो के अंतर्गत एनएच-31 (नया एनएच-27) के 1013.000 डिजाइन किमी से 1040.300 किमी (वर्तमान 1013.000 किमी से 1040.300 किमी) तक नलबाड़ी-बिजनी से गुवाहाटी खण्ड को दो लेन से चार लेन बनाने की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(चार) का.आ. 1253(अ) जो 18 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में एनएच-22 (नया एनएच-05) के 67.000 डिजाइन किमी से 106.000 किमी (वर्तमान 67.000 किमी से 106.139 किमी) तक परवानू-सोलन खण्ड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(पांच) का.आ. 1254(अ) जो 18 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में एनएच-30 (पुराना एनएच-200) के 0.000 डिजाइन किमी से 48.580 किमी (वर्तमान 0.000 डिजाइन किमी से 45.700 किमी) तक रायपुर-सिम्गा खण्ड की 4/6 लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(छह) का.आ. 1403(अ) जो 30 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य

में एनएच-752सी के 41.800 किमी से 82.300 किमी तक शुजालपुर-अस्ता खण्ड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(सात) का.आ. 1404(अ) जो 30 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में एनएच-911 के 0.00 डिजाइन किमी से 30.812 डिजाइन किमी तक खाजूवाला से पूगल खण्ड तथा 1.430 डिजाइन किमी से 182.725 डिजाइन किमी तक पूगल-दांतौर-जग्गासर-गोकुल-गोड्डू-रंजीतपुरा-चरणवाला-नोख-बाप खंड की 2/4 लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(आठ) का.आ. 1405(अ) जो 30 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में एनएच-33 के 140.000 डिजाइन किमी से 217.300 किमी (वर्तमान 140.000 डिजाइन किमी से 217.300 किमी) तक रांची-रारगांव खण्ड की 4/6 लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(नौ) का.आ. 1656(अ) जो 16 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में एनएच-82 के 94.478 किमी से 149.053 किमी तक बिहारशरीफ-बरबीघा-मोकामा खण्ड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(दस) का.आ. 1701(अ) जो 27 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-52 (पुराना एनएच-211) के 290.200 किमी से 320.640 किमी तक औरंगाबाद से करोडी खण्ड के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(ग्यारह) का.आ. 1702(अ) जो 27 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में

एनएच-548सीसी के 43.963 किमी से 100.065 किमी तक चिखली-खमगांव खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(बारह) का.आ. 1711(अ) जो 29 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-53 (पुराना एनएच-6) के 300.000 किमी से 422.700 किमी तक चिखली-तरसोड खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(तेरह) का.आ. 1712(अ) जो 29 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में एनएच-48 के 489.185 किमी से 555.905 किमी तक शामलाजी-मोटाचिलोडा-नानाचिलोडा खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(चौदह) का.आ. 1713(अ) जो 29 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-361 के 253.700 किमी से 320.580 किमी तक वारांगा-महागांव खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(पंद्रह) का.आ. 1714(अ) जो 29 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में एनएच-536 (पुराना एनएच-210) के 94.000 किमी से 173.500 किमी तक कराइकुडी-रामनाथपुरम खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(सोलह) का.आ. 1715(अ) जो 29 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-91 के 195.733 किमी से 240.897 किमी तक

अलीगढ़-कानपुर खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(सत्रह) का.आ. 1804(अ) जो 7 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-752सी के 2.700 किमी से 33.000 किमी तक पाचोर-सुलजापुर खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(अठारह) का.आ. 1805(अ) जो 7 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-91 के 240.897 किमी से 302.108 किमी तक अलीगढ़-कानपुर खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(उन्नीस) का.आ. 1851 (अ) जो 12 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-353डी के 7.300 किमी से 48.400 किमी तक नागपुर-उमरेद खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(बीस) का.आ. 1905 (अ) जो 17 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में एनएच-183 के 2.750 किमी से 136.543 किमी तक डिंडीगुल थेनी- कुमीली खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(इक्कीस) का.आ. 1951 (अ) जो 24 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में एनएच-49 (पुराना एनएच-6) के 414.982 किमी से 493.300 किमी तक बिंजाबहल-तेलीबानी खण्ड

परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(बाईस) का.आ. 2248 (अ) जो 11 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में एनएच-27 (पुराना एनएच-54) के 275.000 किमी से 300.760 किमी तक सिलचर-बालाछेड़ा खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(तेईस) का.आ. 2345 (अ) जो 16 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-39 (पुराना एनएच-75) के 88.600 किमी से 155.000 किमी तक बमीठा-पन्ना-नागौर-सतना खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(चौबीस) का.आ. 2436 (अ) जो 21 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-140 के 0.000 किमी से 61.128 किमी तक चितूर-मल्लावरम खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(पच्चीस) का.आ. 2479 (अ) जो 22 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में एनएच-365 के 0.600 किमी से 65.963 किमी तक नकरेकल-तानमचेरला खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(छब्बीस) का.आ. 2585 (अ) जो 28 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य

में एनएच-45 (पुराना एनएच-12) के 10.400 किमी से 66.000 किमी तक जबलपुर-हिरन नदी खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(सताईस) का.आ. 2448 (अ) जो 22 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-39 (पुराना एनएच-75) के 75.603 किमी से 124.732 किमी तक झांसी-खजुराहो नदी खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(अठाईस) का.आ. 2582 (अ) जो 28 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-347बी के 0.000 किमी से 34.560 किमी तक टिखरी-अंजाड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(उनतीस) का.आ. 2650 (अ) जो 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-552विस्तार के 254.370 किमी से 291.800 किमी तक मुरेना-अम्बा-पोरसा खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(तीस) का.आ. 2651 (अ) जो 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-548सी के 0.000 किमी से 41.500 किमी तक खमगांव-शेगांव खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(इकतीस) का.आ. 2652 (अ) जो 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-547ई के 4.700 किमी से 33.575 किमी तक साउनेर-ढापेवाडा-कलमेश्वर-गोंडखैरी खण्ड

परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(बत्तीस) का.आ. 2648 (अ) जो 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-135बी के 0.000 किमी से 36.710 किमी तक रीवा-सिरमौर खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(तैंतीस) का.आ. 2649 (अ) जो 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू-कश्मीर राज्य में एनएच-44 (पुराना 1ए) के 189.350 किमी से 205.618 किमी तक काजीगुंड-बनिहाल खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(चौतीस) का.आ. 2690 (अ) जो 5 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में एनएच-31डी के 0.000 किमी से 83.785 किमी तक घोषपुकुर-धूपगुड़ी खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(पैंतीस) का.आ. 2691 (अ) जो 5 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-552 विस्तार के 295.200 किमी से 343.800 किमी तक पोरसा-अटेर-भिंड खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(छत्तीस) का.आ. 2698 (अ) जो 5 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-7 के 15.100 किमी से 140.200 किमी तक

वाराणसी-हनुमान खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(सैंतीस) का.आ. 2743(अ) जो 8 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 15 दिसंबर, 2021 की अधिसूचना सं. का.आ. 1760(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(अड़तीस) का.आ. 492(अ) जो 2 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा झारखंड राज्य में राजमार्ग सं. 588 को नये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है ।

(उनतालीस) का.आ. 514(अ) जो 3 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(चालीस) का.आ. 515(अ) जो 3 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित, राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है ।

(इकतालीस) का.आ. 516(अ) जो 3 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 जनवरी, 2019 की अधिसूचना सं. का.आ. 383(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(बयालीस) का.आ. 517(अ) जो 3 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राजमार्ग सं. 589 को नये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है ।

(तैंतालीस) का.आ. 657(अ) जो 12 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा

उत्तराखंड राज्य में राजमार्ग सं. 590 को नये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है ।

(चवालीस) का.आ. 833(अ) जो 22 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(पैंतालीस) का.आ. 960(अ) जो 26 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राजमार्ग सं. 592 को नये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है ।

(छियालीस) का.आ. 961(अ) जो 26 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राजमार्ग सं. 591 को नये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है ।

(सैंतालीस) का.आ. 962(अ) जो 26 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(अड़तालीस) का.आ. 1025(अ) जो 3 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(उनचास) का.आ. 1043(अ) जो 4 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में राजमार्ग सं. 593 को नये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है ।

(पचास) का.आ. 1146(अ) जो 11 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार

राज्य में राजमार्ग सं. 594 को नये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है ।

(इक्यावन) का.आ. 1278(अ) जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(बावन) का.आ. 1279(अ) जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. एनई 3 के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है ।

(तिरपन) का.आ. 1280(अ) जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं. का.आ. 1175(अ) को निरस्त किया गया है ।

(चौवन) का.आ. 1298(अ) जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राजमार्ग सं. 597 और 598 को नये राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है ।

(पचपन) का.आ. 1299(अ) जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राजमार्ग सं. 595 और 596 को नये राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है ।

(छप्पन) का.आ. 1300(अ) जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राजमार्ग सं. 600 और 601 को नये राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है ।

(सतावन) का.आ. 1301(अ) जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल,

2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(अठावन) का.आ. 1302(अ) जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तेलंगाना राज्य में राजमार्ग सं. 599 को नये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है ।

(उनसठ) का.आ. 1385(अ) जो 26 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 75 और 76 के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है ।

(साठ) का.आ. 1386(अ) जो 26 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(इकसठ) का.आ. 1494(अ) जो 7 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राजमार्ग सं. 602 और 603 को नये राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है ।

(बासठ) का.आ. 1585(अ) जो 13 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(तिरसठ) का.आ. 1948(अ) जो 21 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राजमार्ग सं. 604 को नये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है ।

(चौसठ) का.आ. 2037(अ) जो 28 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4

अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(पैंसठ) का.आ. 2038(अ) जो 28 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ. 4583(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(छियासठ) का.आ. 2039(अ) जो 28 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(सड़सठ) का.आ. 2040(अ) जो 28 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(अड़सठ) का.आ. 2041(अ) जो 28 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 327 विस्तार के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है ।

(उनहत्तर) का.आ. 2042(अ) जो 28 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(सत्तर) का.आ. 2139(अ) जो 3 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 30 मार्च, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 460(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है ।

(इकहत्तर) का.आ. 2140(अ) जो 3 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 30 मार्च, 2006 की

अधिसूचना सं. का.आ. 461(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है ।

(बहत्तर) का.आ. 2141(अ) जो 3 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की अनुसूची में क्रम सं. 524 के सम्मुख विनिर्दिष्ट नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 148एन और उससे संबंधित प्रविष्टियों का अनुसूची से लोप किया गया है ।

(तिहत्तर) का.आ. 2142(अ) जो 3 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(चौहत्तर) का.आ. 2165(अ) जो 7 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(पचहत्तर) का.आ. 2178(अ) जो 7 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 233 के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है ।

(छिहत्तर) का.आ. 2179(अ) जो 7 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(सतहत्तर) का.आ. 2435(अ) जो 21 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल,

2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठहत्तर) का.आ. 2478(अ) जो 22 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा निदेशित किया गया है कि उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 109ट के खंड के विकास और रख-रखाव से संबंधित कार्य सीमा सड़क विकास बोर्ड के अधीन सीमा सड़क विकास संगठन द्वारा किया जाएगा।

[Placed in Library, See No. LT 4411/17/21]

(2) (एक) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, अमेठी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, अमेठी के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4412/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) ओमनीबस इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एंड दीव तथा दादरा एंड नागर हवेली लिमिटेड, नानी दमन के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ओमनीबस इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एंड दीव तथा दादरा एंड नागर हवेली लिमिटेड, नानी दमन का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 4413/17/21]

(ख) (एक) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4414/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री कौशल किशोर जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2021 जो 8 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 483(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4415/17/21]

____